गोदावरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के सदस्य

9466. **श्री आर० डी० गट्टानी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण कब गठित किया गया था;

(ख) उन सेवारत न्यायाधीशों के नाम क्या हैं जो इसके अब भी सदस्य है और उनमें प्रत्येक न्यायाधीश न्यायाधिकरण में कब आया था ;

(ग) यदि वे सदस्य न्यायाधिकरण में नियुक्त न किए जाते तो वे कब सेवा-निवृत्त हो जाते ;

(घ) क्या उक्त न्यायाधिकरण का निर्णय शीघ्र होने की कोई आशा है ; और

(ङ) क्या वर्तमान सरकार निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत न्यायाधीशों को इस प्रकार के काम सौंपने की नीति में संशोधन करेगी या उसी को जारी रखेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण 10 अप्रैल 1969 को गठित किया गया था।

(ख) और (ग) इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री आर० एस० बचावत हैं और न्यायमूर्ति श्री डी० एम० भण्डारी एवं श्री डी० एम० सेन सदस्य हैं। अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार न्यायाधिकरण में प्रारंभिक नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किए जाने के समय ये कार्यरत न्यायाधीश थे। न्यायाधिकरण में इनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीखें और न्यायाधीशों के रूप में इनकी सेवा-निवृत्ति की तारीखें नीचे दी गई हैं :—

नाम	न्यायाधिकरण में प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख	न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्ति की तारीख
1. न्यायमूर्ति श्री आर० एस० बचावत (अध्यक्ष)	10-4-69	1-8-1969 (पूर्वाह्न)
2. न्यायमूर्ति श्री डी० एम० भण्डारी (सदस्य)	4-12-69	16-12-1969 (पूर्वाह्न)
3. न्यायमूर्ति श्री डी० एम० सेन (सदस्य)	30-9-75	6-2-1976 (पूर्वाह्न)

(घ) न्यायाधिकरण को आशा है कि इस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

(ङ) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार की गई है जिनके अनुसार न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाना होता है, जिनका मनोनयन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो ऐसे मनोनयन के समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों। इस समय इन उपबन्धों में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।